



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 07.02.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप एक अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर कारावास सहित अलग-अलग 03 मामलों में 03 अभियुक्तों को कुल 09 हजार 300 रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप एक अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर कारावास सहित अलग-अलग 03 मामलों में 03 अभियुक्तों को कुल 09 हजार 300 रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना बबेरू में पंजीकृत अभियोग 164/2018 धारा 452/354(क)(1)i/354(घ)/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र राममूरत वर्मा निवासी कोरम थाना बबेरू जनपद बांदा को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 06 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना मटौंध में पंजीकृत अभियोग 97/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त संजू प्रजापति पुत्र खर्वा निवासी कैलाशपुरी छोटी बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को 03 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अभियोग 131/12 धारा 147/148/336/435/332/353/342/504/506 भादवि के अभियुक्त सोनू श्रीवास्तव पुत्र मंजुल मयंक निवासी नोनिया मोहाल कटरा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को कुल 300/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।